फर्द अहकाम
(नियम 26)

# लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.), मुकाम–सिरोही(राज.)

प्रार्थी
1 नरेन्द्रसिंह पुत्र श्री मोहब्बतसिंह
जाति राजपूत नि. सिलोईया
तहसील व जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थी
1.स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही

किस्म मुकदमा,
राजस्व प्रा0पत्र अ.धारा 136 एल.आर.एक्ट

रा.प्रा.पत्र सं. 42/2024

| दिनांक | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये |
|---|---|---|
| 26–07–2024 | पत्रावली पेश हुई । वकील प्रार्थी श्री जितेन्द्रसिंह देवडा व स्टेट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित । अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक/कोर्ट/2024/467 दिनांक 11–07–2024 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई । प्रकरण में वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनी गई । हमने वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली/दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया ।<br>सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि मौजा सिलोईया के वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 224, 245, 164 व 165 में प्रार्थी का अशुद्व/गलत नाम माधूसिंह पुत्र श्री मोहब्बतसिंह के स्थान पर वास्तविक व सही नाम नरेन्द्रसिंह पुत्र श्री मोहब्बतसिंह संशोधन कर उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें ।<br>निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।<br>लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)<br>सिरोही<br>लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर<br>(उपखण्ड अधिकारी)<br>सिरोही (राज.) | |

न्यायालय लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर सिरोही (राज.)